Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

गुड्डीबाई **बनाम** **उदयलाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा **अपील राजस्व** नं0 **029** सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर। अपीलार्थीया स्वयं हाजिर। हाजिर अपीलार्थीया की पहचान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई। हाजिर वकील अपीलार्थी ने अपीलार्थीया की और से प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रहें। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। अपीलार्थीया स्वयं अपनी अपील नहीं चलना चाहती है, ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विड्रोल में खारीज किया जाता है, एवं अपील अपीलार्थी विड्रोल में खारीज की जाती है, तद्नुसार अपील अपीलार्थीया निर्णित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेशिका की भिजवाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **–ह0–** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 24.07.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	